भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4016

बुधवार, दिनांक 12 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना

4016. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सौर ऊर्जा उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से सौर मॉड्यूल और सौर सेल घटकों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए किसी विशेष नीति को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत अब तक स्वीकृत निवेश और स्थापित विनिर्माण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी विशेष योजना का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का घरेलू सौर ऊर्जा उत्पादन पारितंत्र को मजबूत करके भारत को एक वैश्विक सौर विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहनों और नीतिगत सुधारों को लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): सरकार ने सौर सेल एवं मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की कुछ योजनाओं के अंतर्गत घरेलू सामग्री आवश्यकता (DCR) संबंधी प्रावधान, सौर सेल एवं मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए आवश्यक निर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर सीमा शुल्क से छूट, तथा आयातित सौर PV सेल एवं मॉड्यूल पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लगाया जाना शामिल है।

(ख) उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलों के लिए PLI योजना के अंतर्गत चयनित विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दिनांक 30.06.2026 तक लगभग ₹73,400 करोड़ का निवेश किया गया है। दिनांक 30.06.2026 की स्थिति के अनुसार, योजना के अंतर्गत लगभग 42 GW की सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता, लगभग 12 GW की सौर PV सेल विनिर्माण क्षमता तथा लगभग 2 GW की इंगेट-वेफर विनिर्माण क्षमता स्थापित की जा चुकी है। उक्त क्षमताओं में लगभग 3.4 GW की पूर्णतः एकीकृत थिन-फिल्म सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता शामिल है।

(ग) भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में सौर विनिर्माण इकाइयों की स्थापना, अनुसंधान तथा कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर नीतियां लाई जा रही हैं। की गई विभिन्न पहलों में, अन्य बातों के साथ-साथ, **अनुलग्नक-I** में उल्लिखित उपाय शामिल हैं।

(घ): भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित उपाय घरेलू सौर PV विनिर्माण के समग्र विकास में योगदान दे रहे हैं, जिसमें निर्यात को बढ़ावा देना भी शामिल है। वाणिज्य विभाग के निर्यात-आयात डेटा बैंक के अनुसार, भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में लगभग 83 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के सौर PV मॉड्यूल का निर्यात किया था, जो बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगभग 1,051 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

अनुलग्नक-I

'सौर उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना' के संबंध में पूछे गए दिनांक 12.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3911 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(i) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना: भारत सरकार उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूलों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (PLI) योजना लागू कर रही है। इस योजना के अंतर्गत 48,337 MW की पूर्णतः/आंशिक रूप से एकीकृत सौर PV मॉड्यूल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए अवार्ड पत्र (Letters of Award) जारी किए गए हैं।

(ii) घरेलू सामग्री की आवश्यकता (DCR): MNRE की कुछ वर्तमान योजनाओं, अर्थात् CPSU योजना चरण-II, पीएम-कुसुम घटक B एवं C तथा पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, जिनमें सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है, के अंतर्गत सौर PV सेल एवं मॉड्यूल की खरीद घरेलू स्रोतों से करना अनिवार्य किया गया है।

(iii) सौर PV सेल एवं मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लगाया जाना: सरकार ने सौर PV सेल तथा सौर PV मॉड्यूल के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) लगाया है।

(iv) सौर सेल एवं मॉड्यूल के विनिर्माण हेतु पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क से छूट: सरकार ने सौर PV सेल एवं मॉड्यूल के विनिर्माताओं द्वारा निर्दिष्ट वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क (BCD) से छूट प्रदान की है।

(v) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम एवं उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP): MNRE, पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) के माध्यम से सौर उद्यमिता पर उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (ESDP) लागू कर रहा है। MNRE, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अल्पकालिक प्रशिक्षण घटक के अंतर्गत सूर्यमित्र एवं वरुणमित्र प्रशिक्षण भी आयोजित करता है, जिनके माध्यम से 18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को क्रमशः सौर PV तकनीशियन के रूप में सौर विद्युत परियोजनाओं तथा सौर जल पंपिंग प्रणालियों की स्थापना, संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

(vi) नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (RE-RTD) कार्यक्रम: MNRE मध्य प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में नवीकरणीय ऊर्जा अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास (RE-RTD) कार्यक्रम लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य सौर प्रौद्योगिकियों सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में स्वदेशी अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पात्र अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के लिए सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों को 100% तक तथा उद्योग, निजी संस्थानों, उद्यमियों एवं विनिर्माण इकाइयों को 70% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कार्यक्रम अनुसंधान संस्थानों एवं उद्योग के सहयोग से सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों एवं विनिर्माण के विकास में सहायता करता है।
